न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/235

रामभरोस आयु 45 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति मेहर निवासी पीपाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. केसर बाई पत्नी भागीरथ जाति जांगिड मेघवाल ।
2. बसन्ती बाई पुत्री भागीरथ जाति जांगिड मेघवाल ।
3. राधा बाई पुत्री भागीरथ पत्नी बलराम जाति जांगिड मेघवाल निवासीगण कुटकिया हाल निवासीगण ग्राम असकली पेट्रोलपम्प के पीछे असकली (ढाबादेह) तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/46

रामभरोस आयु 45 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति मेहर निवासी पीपाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. केसर बाई पत्नी भागीरथ जाति जांगिड मेघवाल ।
2. बसन्ती बाई पुत्री भागीरथ जाति जांगिड मेघवाल ।
3. राधा बाई पुत्री भागीरथ पत्नी बलराम जाति जांगिड मेघवाल निवासीगण कुटकिया हाल निवासीगण ग्राम असकली पेट्रोलपम्प के पीछे असकली (ढाबादेह) तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री मोहम्मद युनुस, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 23.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 132 में खसरा नम्बर 152 की रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 की रकबा 0.81 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 1.43 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 71 में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते में खसरा नम्बर 157 की रकबा 1.08 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज है । वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 444 की 0.81 हैक्टर भूमि जो कि गत सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा खातेदारान छीतरलाल, रामेश्वर, गोरधन पिसरान रोडूलाल रामकन्या पुत्री रोडूलाल जाति बैरवा के खातेदारी में दर्ज है । पूर्व खातेदार श्री छीतरलाल आदि ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2007 को वादी को बेचान कर दी तथा जिस जगह पूर्व खातेदारान छीतरलाल, रामेश्वर, गोरधन, रामकन्या काश्त करते चले आ रहे थे, उसी स्थान पर वादी को कब्जा संभला दिया तब से उक्त भूमि पर वादी काश्त करता आ रहा है । उक्त आराजी क्रय करने के बाद वादी ने लाखो रूपये खर्च कर उक्त भूमि में मेडबन्दी करवायी भूमि को समतल करवाया । दिनांक 25.06.2007 को जिस भूमि पर पूर्व विक्रेता खातेदारान द्वारा वादी को कब्जा संभलाया गया था तथा वर्तमान में वादी काश्त करता आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड का निरीक्षण करने पर वादी को जानकारी हुई कि वादी एंव वादी के पूर्व खातेदार जिस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं वह मौके पर वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज भूमि है तथा इसी खसरा नम्बर 157 की रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.81 हैक्टर पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । वादी से पूर्व खातेदारान को जब भूमि आवंटन की गयी थी तब इसी भूमि पर कब्जा संभलाया गया था जिस पर पूर्व में खातेदारान व तत्पश्चात् वर्तमान में वादी काबिज चला आ रहा है । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादी उक्त भूमि पर

पिछले 60 वर्षो से काबिज काश्त चले आने से उक्त भूमि वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद सं0 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 157 की रकबा 1.08 हैक्टर में से 0.81 हैक्टर पर प्रतिवादीगण का नाम खाते से विलोपित किया जाकर उक्त भूमि पर वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में तरमीम की जावे । प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र प्रार्थिया की खाते की भूमि से कब्जा दिलवाने बाबत् पेश किया । जिसे परीक्षण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम के रूप में शामिल मिसल किये जाने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प पीपाखेडी में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.11.2021 के द्वारा वाद वादी खारिज करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2021 निरस्त करने का कथन किया ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वर्तमान में ग्राम कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 132 में अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 152 की रकबा 0.62 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 444 की रकबा 0.81 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 1.43 हैक्टर भूमि खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम कुटकिया में खाता संख्या 71 में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी में खसरा नम्बर 157 की रकबा 1.08 हैक्टर भूमि दर्ज है जिसमें प्रत्येक प्रतिवादीगण का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 444 की रकबा 0.81 हैक्टर भूमि जो सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 186/358 की आराजी 05 बीघा खातेदारान दुर्गेश, छीतरलाल, रामेश्वर, गोरधन पिसरान

रोडू, रामकन्या पुत्री रोडूलाल के खातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमि में से कुल 05 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2007 को अपीलान्ट को बेचान कर दी और उसी स्थान पर स्थित भूमि को अपीलान्ट के कब्जे में संभला दिया तब से ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर काफी पैचा खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है । परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत बिना तथ्यों का अवलोकन किये एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 186/358 की आराजी 05 बीघा भूमि दुर्गेश, छीतरलाल, रामेश्वर, गोरधन पिसरान रोडूलाल, रामकन्या पुत्री रोडूलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है । इसी प्रकार दुर्गाबाई पत्नी छीतर लाल बैरवा से भी अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की है । किन्तु रेस्पोडेन्ट ने पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि को अपनी जमाबन्दी में अंकित करवा दिया जो एक गैर कानूनी कार्य है । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद प्रस्तुत नहीं किया था । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 17.01.2022 की तारीख पेशी नियत की गई थी । परन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तामील करवाये बिना दिनांक 16.11.2021 को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प पीपाखेडी में ले जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया केवल एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रार्थना पत्र को काउन्टर क्लेम मानकर अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जबकि वैधानिक रूप से वादपत्र में जवाबदावा प्रस्तुत करते समय उसके साथ ही काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । बिना जवाबदाव प्रस्तुत किये काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि काउन्टर क्लेम वैधानिक रूप से एक वाद ही होता है और प्रार्थना पत्र को वाद नहीं माना जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा मौका पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 तलब की गई थी । उक्त रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और साथ ही पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट की गई थी कि खातेदार उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्रापत करने हेतु स्वंतत्र है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णर्य एवं डिक्री दिनांक 16.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है जिससे उन्हें बेदखल किया जावे । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.11.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि

ग्राम कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 132 में खसरा नम्बर 152 की रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 की रकबा 0.81 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 1.43 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या 71 में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते में खसरा नम्बर 157 की रकबा 1.08 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज है । वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 444 की 0.81 हैक्टर भूमि जो कि गत सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा खातेदारान छीतरलाल, रामेश्वर, गोरधन पिसरान रोडूलाल रामकन्या पुत्री रोडूलाल जाति बैरवा के खातेदारी में दर्ज है । पूर्व खातेदार श्री छीतरलाल आदि ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.06.2007 को वादी को बेचान कर दी तथा जिस जगह पूर्व खातेदारान छीतरलाल, रामेश्वर, गोरधन, रामकन्या काश्त करते चले आ रहे थे, उसी स्थान पर वादी को कब्जा संभला दिया तब से उक्त भूमि पर वादी काश्त करता आ रहा है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम के रूप में मानते हुए वाद वादी खारिज करते हुए प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर निर्णय एवं डिकी पारित की है ।

12. परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार परीक्षण न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित था और इसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.01.2022 नियत की गई थी, परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 16.11.2021 को उक्त प्रकरण को प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प पीपाखेडा में रखा गया । कैम्प में अपीलान्ट रामभरोस के उपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट रामभरोस के उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामभरोस के कोई अभिभाषक वहॉ उपस्थित नहीं थे । प्रशासन गॉव के संग अभियान में सहमति के अभाव में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को काउन्टर क्लेम मानते हुए निर्णय पारित करना विधि–विरूद्ध है ।

13. परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर निर्णय एवं डिकी पारित की है जबकि प्रार्थना पत्र जो कि काउन्टर क्लेम के रूप में दर्ज किया गया है उस पर विधिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक होता है । परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की अनुपस्थिति में काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया है । परीक्षण न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र को काउन्टर क्लेम माना परन्तु अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 16.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह काउन्टर क्लेम पर अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं सुनवाई का अवसर

प्रदान कर नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.11.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हो । यदि परीक्षण न्यायालय की डिक्री दिनांक 16.11.2021 अनुसार प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलवा दिया गया है तो न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस निर्णय की आड में वादी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को मौके से बेदखल नहीं करे । परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा